235/8

एस डी ओ/रीडर

पत्रावली कॉलम कोर्ट में पेश है। प्रार्थी अभिभाषक डॉ० प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को ता०. नोटिस भेजा जाए। इसके निर्देशानुसार से पाया गया है कि विवादित दस्तावेजों की नकल एवं राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित नकल लगाये हुये। पत्रावली नोटिस दुरुस्त होकर कब्जा से काम हो तथा वाद तकमील संगत वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner